समयबद्ध/ शीर्ष प्राथमिकता

संख्या:-755 /84-2-2022

प्रेषक,

अतुल सिंह,

विशेष सचिव,

उ.प्र. शासन।

सेवा में,

निदेशक,

सूचना एवं जनसंपर्क विभाग,

उ.प्र. लखनऊ।

उपभोक्ता संरक्षण एवं बाट माप अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 19 जुलाई, 2022

विषय:-"जिला उपभोक्ता आयोग के सामान्य सदस्य एवं महिला सदस्य के रिक्त पदों पर चयन हेतु विज्ञापन प्रकाशित किए जाने के संबंध में।"

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के जिला उपभोक्ता आयोगों रिक्त/ रिक्त होने वाले सामान्य सदस्य के 10 पदों एवं महिला सदस्य के 04 पदों पर चयन हेतु विज्ञापन प्रकाशित किया जाना है। इस संबंध में उक्त पदों के विज्ञापन पत्रांक: 753/84-2-2022, दिनांक 19 जुलाई, 2022, प्रेस विज्ञप्ति तथा आवेदन पत्र के प्रारूप को (सॉफ्ट कॉपी सहित) संलग्न कर प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि कृपया उक्त विज्ञापन की प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 19 जुलाई, 2022 को हिंदी एवं अंग्रेजी के सर्वाधिक प्रसार वाले समाचार पत्रों में डी.ए.वी.पी./राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दर पर अतिशीघ्र प्रकाशित कराने का कष्ट करें तथा प्रकाशित कराये गए प्रेस विज्ञप्ति की एक-एक प्रति शासन को भी उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक यथोक्त।

भवदीय,

/

(अतुल सिंह)

विशेष सचिव।

पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निबंधक, राज्य उपभोक्ता आयोग उ.प्र. को विज्ञापन /प्रेस विज्ञप्ति एवं आवेदन पत्र के प्रारूप की प्रति सहित इस निर्देश के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त विज्ञापन/ प्रेस विज्ञप्ति एवं आवेदन पत्र का प्रारूप तथा उपभोक्ता

संरक्षण (राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति के लिए अर्हता, भर्ती की पद्धति, नियुक्ति की प्रक्रिया, कार्यकाल, पद से त्याग पत्र और हटाना) नियम 2020 को आयोग की वेबसाइट पर तत्काल अपलोड कराएँ।

आज्ञा से,

(अरविन्द सिंह)

अनु सचिव।

AK Mishra Secretary

उपभोक्ता संरक्षण एवं बाट माप विभाग
उत्तर प्रदेश शासन
विज्ञापन पत्रांक:-753/84-2-2022
लखनऊ, दिनांकः 19 जुलाई, 2022

विज्ञापन

प्रदेश के जिला उपभोक्ता आयोगों में माह दिसम्बर, 2022 तक रिक्त/रिक्त होने वाले सामान्य सदस्य के 10 पदों तथा महिला सदस्य के 04 पदों पर नियुक्ति की जानी है। विशेष परिस्थितियों में रिक्तियों की संख्या घट-बढ सकती है।

2- उक्त पदों पर नियुक्ति के उपरान्त उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के अन्तर्गत उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए अर्हता, भर्ती की पद्धति, नियुक्ति की प्रक्रिया, कार्यकाल, पद से त्याग-पत्र और हटाना) नियम-2020 के नियम-10 के अनुसार जिला आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य 04 वर्ष की अवधि अथवा 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो, तक पद पर रहेंगे तथा 65 वर्ष की आयु के अध्यधीन 04 वर्ष के दूसरे कार्यकाल के लिए पुनर्नियुक्ति के पात्र होंगे, परन्तु यह इस शर्त के अधीन है कि वह निम्नलिखित बिन्दु संख्या- अ, तथा अ (1) में उल्लिखित नियुक्ति के लिए अर्हताओं और अन्य शर्तो की पूर्ति करता है ऐसी पुनर्नियुक्ति भी चयन समिति की सिफारिश के आधार पर की जायेगी।

इसके अनुसार निम्नलिखित अर्हता रखने वाले अभ्यर्थियों से आवेदन-पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदन-पत्र की अंतिम तिथि 20 अगस्त, 2022 होगी।

(अ) सामान्य सदस्य/महिला सदस्य पद हेतु निर्धारित अर्हता:-

(1) विज्ञापन की तिथि को आयु 35 वर्ष से कम न हो।

(2) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त हो।

(3) क्षमतावान, सत्यनिष्ठापूर्ण और प्रतिष्ठित व्यक्ति हो और उपभोक्ता मामले, विधि, लोक मामले, प्रशासन, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, उद्योग, वित्त, प्रबंधन, अभियांत्रिकी, प्रौद्योगिकी, लोक स्वास्थ्य अथवा औषधि में विशेष ज्ञान और कम से कम 15 वर्ष का अनुभव रखता हो।

अ (1) कोई व्यक्ति जिला आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए अनर्ह होगा यदि वह -

(क) ऐसे किसी अपराध, जिसमें नैतिक अधमता सम्मलित हो, के लिए अभियोजित किया गया हो और कारावास कि सजा प्राप्त हो, अथवा

(ख) दिवालिया घोषित किया गया हो, अथवा

(ग) किसी सक्षम न्यायालय द्वारा अस्वस्थ मस्तिष्क और सोच का घोषित किया गया हो, अथवा

(घ) राज्य सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार अथवा ऐसी सरकार के स्वामित्वाधीन अथवा नियंत्रणाधीन किसी निकाय कॉर्पोरेट की सेवा से हटाया गया हो अथवा निष्कासित किया गया हो, अथवा

(ड.) राज्य सरकार की राय में, अध्यक्ष अथवा सदस्य के रूप में उसके कार्यों से वित्तीय अथवा अन्य लाभों पर हानिकारक प्रभाव पड़ने की संभावना हो।

3- जिला उपभोक्ता आयोग के सदस्यों की नियुक्ति उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के अन्तर्गत उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए अर्हता, भर्ती की पद्धति, नियुक्ति की प्रक्रिया, कार्यकाल, पद से त्याग-पत्र और हटाना) नियम-2020 के नियम-6 में प्राविधानित व्यवस्थानुसार चयन समिति द्वारा निर्धारित चयन-प्रक्रिया के अंतर्गत की जायेगी।

4- ऐसे व्यक्ति जो सदस्य के पद पर दो बार चयनित हो चुके हैं; पुनः नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होगें। ऐसे अभ्यर्थी आवेदन न करें।

5- अभ्यर्थियों द्वारा अपने आवेदन पत्र के साथ रू0 1,000/- (रूपये एक हजार मात्र) का बैंक ड्राफ्ट किसी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा निर्गत जो निबन्धक, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0 लखनऊ के पक्ष में देय हो, संलग्न करेंगे।

6- जो आवेदन पत्र निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त होते हैं या जो अभ्यर्थी निर्धारित योग्यता नही रखते हैं; उनका अभ्यर्थन स्वतः निरस्त माना जायेगा एवं शुल्क वापसी नहीं की जाएगी।

7- अभ्यर्थियों को अपना नाम व पता लिखा हुआ रजिस्ट्री लिफाफा जिस पर आवश्यक मूल्य के डाक टिकट लगे हो, 02 लिफाफे तथा 02 पासपोर्ट साईज की नवीनतम् फोटो संलग्न किया जायेगा।

8- अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन-पत्र निबन्धक, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, सी-1, विक्रान्त खण्ड-1 (शहीद पथ के बगल में) गोमती

नगर, लखनऊ उ.प्र. पिन कोड- 226010 को रजिस्टर्ड पत्र द्वारा सीधे प्रेषित किया जायेगा।

9- आवेदन-पत्र निर्धारित प्रारूप पर न होने, अपूर्ण होने या इस विज्ञापन की तिथि के पूर्व अथवा विज्ञापन में आवेदन-पत्र प्राप्त होने हेतु निर्धारित की गई अंतिम तिथि के पश्चात आवेदन प्राप्त होने पर आवेदन-पत्र स्वत: निरस्त समझे जायेंगे। पदों की संख्या तथा स्थान में परिवर्तन बिना किसी पूर्व सूचना के किया जा सकता है। अभ्यर्थी की नियुक्ति रिक्त पदों की उपलब्धता के अनुसार किसी भी जिला आयोग में की जा सकती है।

10- अभ्यर्थी आवेदन-पत्र का प्रारूप एवं उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए अर्हता, भर्ती की पद्धति, नियुक्ति की प्रक्रिया, कार्यकाल, पद से त्याग-पत्र और हटाना) नियम-2020 के सम्बन्ध में विस्तृत विवरण राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0 लखनऊ की बेवसाइट http://scdrc.up.nic.in से प्राप्त कर सकते हैं।

(अतुल सिंह)
विशेष सचिव ,
उपभोक्ता संरक्षण एवं बाट माप विभाग
उत्तर प्रदेश शासन।

उपभोक्ता संरक्षण एवं बाट माप विभाग

उत्तर प्रदेश शासन

पत्रांक:- 753(1)/84-2-2022 दिनांक: 19 जुलाई, 2022

प्रेस विज्ञप्ति

प्रदेश के जिला उपभोक्ता आयोगों में माह दिसम्बर, 2022 तक रिक्त/रिक्त होने वाले सामान्य सदस्य के 10 पदों तथा महिला सदस्य के 04 पदों पर नियुक्ति की जानी है। विशेष परिस्थितियों में रिक्तियों की संख्या घट-बढ सकती है। उक्त नियुक्ति हेतु चयन प्रक्रिया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अंतर्गत बने उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति के लिए अर्हता, भर्ती की पद्धति, नियुक्ति की प्रक्रिया, कार्यकाल, पद से त्याग पत्र और हटाना) नियम 2020, दिनांक 15 जुलाई, 2020 के प्रावधानों के अंतर्गत की जाएगी। उक्त पद पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन पत्रांक:- 753/84-2-2022, दिनांक 19 जुलाई, 2022 एवं आवेदन पत्र का प्रारूप, राज्य उपभोक्ता आयोग की विभागीय वेबसाइट http://scdrc.up.nic.in/ पर अपलोड है। आवेदन करने की **अंतिम तिथि दिनांक 20 अगस्त, 2022** निर्धारित है। इच्छुक अभ्यर्थी उक्त वेबसाइट से सेवा शर्तें एवं आवेदन पत्र का प्रारूप प्राप्त कर, वांछित औपचारिकताओं को पूर्ण करते हुए राज्य आयोग कार्यालय में डाक के माध्यम से अथवा सीधे निर्धारित तिथि दिनांक 20 अगस्त, 2022 तक निबन्धक, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, सी-1, विक्रान्त खण्ड-1 (शहीद पथ के बगल में) गोमती नगर, लखनऊ उ.प्र. पिन कोड-226010 के पते पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन पत्र अपूर्ण होने अथवा निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त होने पर आवेदन पत्र स्वतः निरस्त समझे जाएंगे।

(अतुल सिंह)

विशेष सचिव,

उपभोक्ता संरक्षण एवं बाट माप विभाग

उत्तर प्रदेश शासन।

जिला उपभोक्ता आयोग में सामान्य सदस्य/महिला सदस्य के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप

विज्ञापन पत्रांक:-753/84-2-2022 दिनांकः 19.07.2022

अभ्यर्थी अपनी अद्यतन स्वप्रमाणित फोटो चिपकायें। (03 माह से पुरानी फोटो न चिपकाएं)

1. आवेदित पद का नाम..
2. अभ्यर्थी का नाम -
   (क) हिन्दी में..
   (ख) अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में..
3. पिता/पति का नाम-
   (क) हिन्दी में..
   (ख) अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में..
4. (क) जन्म तिथि (प्रमाण पत्र सहित)..
   (ख) विज्ञापन की तिथि को आयु-................वर्ष..............माह...............दिन
5. (क) शैक्षिक योग्यता (आवेदन पत्र के साथ शैक्षिक योग्यता सम्बन्धी सभी अंकपत्र, प्रमाण पत्र व डिग्री संलग्न करना आवश्यक होगा) का विवरण:-

क्रमांक	शैक्षिक योग्यता	पूर्णांक	प्राप्तांक	श्रेणी
1	हाई स्कूल			
2	इण्टरमीडिएट			
3	स्नातक			
4	परास्नातक			

(ख) विशेष योग्यता (यदि कोई हो तो उसका प्रमाण पत्र व डिग्री संलग्न करना आवश्यक होगा)..

....

6. श्रेणी (सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति)................

....

(आरक्षित वर्ग के समर्थन में प्रमाण पत्र संलग्न किया जाय।)

7. (क) क्षेत्र जिसमें कार्य का पर्याप्त ज्ञान व अनुभव रखते हैं, का ब्यौरा..

....(उपभोक्ता मामलें, विधि, लोक मामलें, प्रशासन, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, उद्योग, वित्त, प्रबंधन, अभियांत्रिकी, प्रौद्योगिकी, लोक स्वास्थ्य अथवा औषधि में विशेष ज्ञान और कम से कम 15 वर्ष का अनुभव)

(ख) विधि मामलों में बार पंजीयन संख्या व दिनांक तथा निस्तारित कराये गए वादो का विवरण..

(ग) कितने वर्ष का अनुभव रखते हैं (अनुभव प्रमाण पत्र संलग्नक के रूप में रखें)..

(घ) जिस संस्था का अनुभव प्रमाण पत्र लगाया गया है, उक्त के संदर्भ में निम्नलिखित विवरण संलग्न करें:-

1. अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने वाली रजिस्टर्ड संस्था का नाम व संस्था का स्थायी पता..
....

2. संस्था का रजिस्ट्रेशन संख्या..

3. रजिस्ट्रेशन जारी होने का दिनांक...

4. संस्था का रजिस्ट्रेशन जारी करने वाले विभाग का नाम..

5. संस्था के अध्यक्ष व सचिव का नाम/ पता व मोबाइल नं0 :-

क्रमांक	पदनाम	नाम	मोबाइल नं0 (अनिवार्य)	ई-मेल (अनिवार्य)	रजिस्टर्ड स्थायी पता
1	अध्यक्ष				
2	सचिव				

(ङ) संस्था के सरकारी/ गैर सरकारी वित्तीय स्रोत का विवरण..

(नोट- 1. संस्था द्वारा गलत प्रमाण-पत्र निर्गत किया गया तो संस्था के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में कार्यवाही की जाएगी।

2. उपरोक्त विवरण कार्यरत सरकारी सेवक/सरकारी सेवानिवृत्त कार्मिकों/अधिवक्ताओं द्वारा नहीं भरा जाना है। यदि कोई अधिवक्ता गैर सरकारी संस्था से सम्बद्ध है, तो सम्बन्धित संस्था का उपरोक्तानुसार विवरण उपलब्ध कराया जाये।)

8. (क) स्थायी पता...
....

(ख) पत्र व्यवहार का पता..
....

(ग) अभ्यर्थी की ईमेल आईडी (अनिवार्य)..

(घ) मोबाइल नम्बर(अनिवार्य)...

(ड.) टेलीफोन नं0 एस.टी.डी. कोड सहित...

(च) गृह जनपद...

9. (क) वर्तमान व्यवसाय...
....

(ख) पूर्व में किस राज्य के न्यायिक अधिकारी रहे हैं/रही हैं(विवरण)................................

(ग) पूर्व सेवा/व्यवसाय के अनुभव का विवरण, यदि कोई हो (प्रमाण पत्र सहित)...

10. अभ्यर्थी के पिता तथा पति के व्यवसाय का संक्षिप्त विवरण:-

(क) पिता...

(ख) पति...

11. यदि अभ्यर्थी का निकट संबंधी राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग/जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष/सदस्य के पद पर कार्यरत है, तो उसका उल्लेख करें...

12. यदि कोई अभ्यर्थी जो पूर्व में अपर जिला जज/जिला जज रहा है/रही है अथवा कार्यरत है वह जिला आयोग में सामान्य सदस्य/महिला सदस्य के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करता है/ करती है, उसके विरूद्ध कभी कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही हुई हो तो उसका परिणाम का विवरण अंकित करें...

यदि अनिवार्य सेवानिवृत्ति अथवा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति हुई हो तो उसका विवरण अंकित करें...

यदि सेवायोजन अवधि में गत वित्तीय 10 वर्षों में कोई प्रतिकूल प्रविष्टि प्राप्त हुई हो तो उसका विवरण अंकित करें तथा उसकी प्रति भी संलग्न करें...

यदि किसी सक्षम न्यायालय द्वारा अभ्यर्थी को आपराधिक मामले में दण्डित किया गया हो, या ऐसा कोई मामला विचाराधीन हो, तो उसका विवरण...

13. यदि कोई अभ्यर्थी जो पूर्व में शासकीय सेवा में रहा हो/रही हो अथवा कार्यरत है, वह जिला आयोग में सामान्य सदस्य/महिला सदस्य के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करता है/करती है, उसके विरूद्ध कभी कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही हुई हो तो उसके परिणाम का विवरण अंकित करें...

यदि अनिवार्य सेवानिवृत्ति अथवा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति हुई हो उसका विवरण अंकित करें...

यदि सेवायोजन अवधि में गत 10 वित्तीय वर्षों में कोई प्रतिकूल प्रविष्टि प्राप्त हुई हो तो उसका विवरण अंकित करें तथा उसकी प्रति भी संलग्न करें...

यदि किसी सक्षम न्यायालय द्वारा अभ्यर्थी को आपराधिक मामले में दण्डित किया गया हो, या ऐसा कोई मामला विचाराधीन हो, तो उसका विवरण...

14. अभ्यर्थी यदि केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार के अधीन किसी उपक्रम में कार्यरत रहा है/रही है अथवा कार्यरत है तो निम्न विवरण अंकित करें:-

(क) विभाग का नाम...

(ख) नियुक्ति प्राधिकारी का पद नाम ....

(ग) सेवा अवधि (किस तिथि से किस तिथि तक कार्यरत रहे).................................

(घ) वेतनमान एवं मूल वेतन...

(ङ) सेवानिवृत्ति तिथि...

(च) विभाग का पत्र व्यवहार का पता..

(छ) सेवानिवृत्ति के समय पदनाम...

15- अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन पत्र के साथ अपना नाम व पता लिखा हुआ रजिस्ट्री लिफाफा, जिस पर आवश्यक मूल्य के डाक टिकट लगे हों, 02 अन्य लिफाफे तथा 02 पासपोर्ट साईज की नवीनतम् फोटो संलग्न किया जायेगा।

16- अभ्यर्थी को अपना आवेदन पत्र निबन्धक, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, सी-1, विक्रान्त खण्ड-1 (शहीद पथ के बगल में) गोमती नगर, लखनऊ,उ.प्र. पिन कोड- 226010 को सभी प्रमाण पत्रों एवं बैंक ड्राफ्ट रु.1000/- (रु.एक हजार मात्र) मूल रूप में निर्धारित अंतिम तिथि तक भेजना होगा। निर्धारित अंतिम तिथि के पश्चात् प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।

17- अन्य विवरण, यदि कोई हो..

18- अभ्यर्थी की नियुक्ति रिक्त पदों की उपलब्धता के अनुसार किसी भी जिला आयोग में की जा सकती है।

तिथि .... अभ्यर्थी का हस्ताक्षर...

स्थान .... अभ्यर्थी का नाम..

<u>घोषणा पत्र</u>

मैं...घोषणा करता हूँ/ करती हूँ कि -

(1) मैंने विज्ञप्ति में की गई पात्रता की शर्तों को सावधानीपूर्वक पढा है, वह मुझे मान्य है और वे शर्ते मैं पूरी करता हूँ/करती हूँ।

(2) मेरे द्वारा इस आवेदन पत्र में दिये गये सारे विवरण/सूचनायें सत्य एवं सही है और मैनें इन विवरण/सूचनाओं में कोई तथ्य नहीं छिपाया है। यदि कोई विवरण/सूचना असत्य अथवा गलत पायी जाये या कोई मेरे द्वारा छिपाया जाना पाया जाये तो मेरा अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाये। यदि नियुक्ति हो जाने के उपरान्त ऐसी स्थिति प्रकाश में आये तो मेरी सेवाएं समाप्त कर दी जायें। इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर ....

अभ्यर्थी का नाम...................................